सोशल मीडिया सेल आजमगढ़

पत्र सं0- 311/21 दिनांक- 28 जून 2021

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- अहरौला

<u>जानलेवा हमले का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार</u>

दिनाकं 08.10.2020 को श्री तिरथू पुत्र झिनकू निवासी मोलनापुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत दर्ज करायी कि दिनांक 07.06.2021 को दरवाजा खोलने से मना करने की बात को लेकर मेरे पट्टीदार 1. पुतूल पुत्र झिनकू 2. राहुल पुत्र पुतूल 3. मुन्ना पुत्र तिरथ 4. आकाश पुत्र तिरथ निवासीगणगण ग्राम मोलनापुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा गाली गुप्ता देते हुए मुझे और मेरे पुत्री नीलम को ईट-पत्थर,लात-घूसे से मारने लगे किसी प्रकार बचकर भागने पर आकाश पुत्र तिरथ ने अपने पास लिए असलहे से जान मारने की नियत से फायर कर दिये जिससे हम लोग बाल-बाल बच गये। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 154/2020 धारा 323/504/506/307/427 भादवि पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री रामकृपाल सोनकर के द्वारा सम्पादित की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित,ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत आज दिनांक 28.06.2021 को उ0नि0 श्री रामकृपाल सोनकर मय हमराह का0 विजय कुमार यादव के मु0अ0सं0 154/2020 धारा 323/504/506/307/427 भादवि की विवेचना एवं तलाश मुल्जिमान में क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि मुकदमे उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राहुल पुत्र पुत्तुल निवासी ग्राम मोलनापुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ शाहपुर से बूढ़नपुर जाने वाले मार्ग पर शाहपुर बाजार मे खड़ा है। इस सूचना पर मय हमराहयान के शाहपुर बाजार पहुचकर अभियुक्त राहुल पुत्र पुत्तुल निवासी ग्राम मोलनापुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को समय करीब 7.30 बजे गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त को उसके अपराध से बोध कराकर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 154/2020 धारा 323/504/506/307/427 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

राहुल पुत्र पुत्तुल सा0 मोलनापुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 रामकृपाल सोनकर मयहमराह का0 विजय कुमार यादव थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

<u>थाना सरायमीर</u>

<u>गैगेस्टर एक्ट के 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार</u>

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान गैगेस्टर/पुरस्कार घोषित अपराधियों कि गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आजमगढ़ के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 28.06.2021 को थाना स्थानीय मु0अ0सं0 0059/2021 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त अजीम पुत्र मसरूर सा0 मुड़ियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को उसके घर ग्राम मुड़ियार थाना फूलपुर आजमगढ को समय करीब 06.10 बजे गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

अजीम पुत्र मसरूर सा0 मुड़ियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

<u>अजीम पुत्र मसरूर सा0 मुड़ियार थाना फूलपुर आजमगढ</u>

1. मु0अ0सं0 48/20 धारा 411/413/414/419/420/467/468/471/474भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 59/21 धारा 3(1) यू0पी0 गैगें0 एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. प्र0नि0 सरायमीर श्री अनिल कुमार सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

2. हे0का0 विहंगल यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

3. का0 रुपेश पासवान थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

4. का0 मिथुन प्रसाद थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

थाना दीदारगंज

वांछित अभियुक्तगण की धारा 82 सीआरपीसी का तामिला

कार्यवाही का विवरणः- पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद आजमगढ़ व क्षेत्राधिकारी फूलपुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा चलाये जा रहे आंशिक रुप से लम्बित विवेचना (पार्ट पीआई) विवेचनाओ के निस्तारण के क्रम में वांछित अभियुक्त उदयराज पुत्र रामस्वरुप निवासी भादो थाना दीदारगंज आजमगढ़ सम्बन्धित मु0अ0स0 141/2020 धारा 307 भादवि में माननीय न्यायालय जे0एम0 / कोर्ट नं0 23 आजमगढ़ से प्राप्त धारा 82 सीआऱपीसी का आदेश व अभियुक्त प्रकाश बनवासी पुत्र स्व0 सुभई निवासी रसूलपुर कैथौली थाना दीदारगंज आजमगढ़ में माननीय न्यायालय जे0एम0 / कोर्ट नं0 23 आजमगढ़ से प्राप्त धारा 82 सीआऱपीसी का आदेश नियमानुसार तामिल किया गया है। अभियुक्तगण के गिरफ्तार / हाजिर अदालत न होने की स्थिती में माननीय न्यायालय से धारा 83 सीआरपीसी का आदेश प्राप्त कर कुर्की की कार्यवाही की जायेगी।

कार्यवाही करने वाली टीम का विवरण

1-(थानाध्यक्ष)संजय कुमार सिंह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

2-उ0नि0 सच्चन राम थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

3- उ0नि0 जगदीश प्रसाद विश्वकर्मा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

4- हे0का0 सुनील कुमार यादव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

5- का0 मोनू कुमार गुप्ता थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

6- का0 आशीष कुमार यादव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

4- का0 टार्जन गोड थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

5- म0का0 अनामिका सिंह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

थाना जहानागंज

एक नफर वाछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 13.05.2021 को वादी रामप्रकाश गिरी पुत्र रामउग्रह गिरी ग्राम फैजपुर थाना जहानागंज आजमगढ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया गया कि वादी की पोती से छेडखानी करना व पूछने जाने पर अभियुक्तगण द्वारा माँ बहन की गाली गाली गुप्ता देते हुए ईंट पत्थर व लाठी डण्डा से मारने पीटने व जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है, के आधार पर थाना स्थानीय मे मु0अ0स0 103/21 धारा 323.504.506.336.354 भादवि बनाम 1-अमित विश्वकर्मा पुत्र रामबाबू उर्फ पप्पू 2- रामबाबू उर्फ पप्पू पुत्र त्रिवेनी विश्वकर्मा 3- पवन विश्वकर्मा पुत्र रामबाबू उर्फ पप्पू नि0गण ग्राम फैजपुर थाना जहानागंज आजमगढ के पंजीकृत किया। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त मे धारा 341/427 भादवि की बढोत्तरी की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ श्री सुधीर कुमार सिंह के आदेश के अनुपालन मे व पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्वेक्षण मे वाछित अभियुक्तो की गिरफ्तरी के क्रम मे दिनांक 28.06.2021 को मु0अ0स0 103/2021 धारा 323.504.506.336.354/341/427 भादवि से सम्बन्धित वाछिंत अभियुक्त अमित विश्वकर्मा पुत्र पप्पू उर्फ रामबाबू विश्वकर्मा सा0 फैजपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ को घर से समय करीब 9.30 बजे गिरफ्तार कर, चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ विवरणः- अमित विश्वकर्मा पुत्र पप्पू उर्फ रामबाबू विश्वकर्मा सा0 फैजपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ उम्र 19 वर्ष बदरियाफ्त पुछने पर जुर्म से इन्कार करते हुए अपनी सफाई जरिये अधिवक्ता माननीय न्यायालय मे देना बता रहे है।

पंजीकृत अभियोगः- मु0अ0स0 103/2021 धारा 323.504.506.336.354/341/427 भादवि

गिरफ्तार अभियुक्तः- अमित विश्वकर्मा पुत्र पप्पू उर्फ रामबाबू विश्वकर्मा सा0 फैजपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1.उ0नि0 मनीष कुमार उपाध्याय, थाना-जहानागंज, आजमगढ़।

2.का0 अरविन्द कुमार थाना-जहानागंज, आजमगढ़।

थाना- कन्धरापुर

किशोरी को बहला-फूसलाकर ले जाने वाला गिरफ्तार

दिनांक घटना 03/04.12.2020 थाना कन्धरापुर, आजमगढ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया गया कि प्रार्थीनी की पुत्री उम्र 14 वर्ष को सर्वेश उर्फ मल्लू अपने घर लेकर रखने के उपरान्त अगले दिन अभियुक्त प्रिन्स उर्फ राजकुमार के साथ भगा कहीं भगा ले गया। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 171/2020 धारा 363/366/368 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये गये वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के अभियान में अभियुक्तो की गिरफ्तारी के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशलत निर्देशन मे व थाना प्रभारी कन्धरापुर के कुशल निर्देशन में दि0 27.0 6.2021 को उ0नि0 राकेश कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 गिरीश कुमार व हे0का0 पंचरतन व का0 महेन्द्र कुमार के साथ रवानाशुदा रफ्ता रपट रो0आम तारीखी इमरोजा से बाद तामिला कुर्की वारण्ट अभियुक्त प्रिन्स उर्फ राजकुमार यादव पुत्र गणेश यादव नि0 दुल्लहपार थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ सम्बन्धित मु0अ0सं0 171/20 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो अधि0 व 3(1)द , 3 (1) ध, 3(2)5 अनु0जाति एवं जनजाति अधि0 थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ में मा0 न्यायालय स्पे0 जज पाक्सो अधि0 द्वारा जारी एवं आदेशानुसार क्षेत्राधिकारी नगर व अभियुक्त राजकुमार उपरोक्त के घर ग्राम दुल्लहपार से वांछित अभि0 प्रिन्स उर्फ राजकुमार यादव पुत्र गणेश यादव नि0 दुल्हपार थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ को घर पर मौजूद मिला जिसे गिरफ्तार कर, अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- प्रिन्स उर्फ राजकुमार यादव पुत्र गणेश यादव उम्र करीब 20 वर्ष साकिन ग्राम दुल्हपार, थाना कन्धरापुर, आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 171/2020 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पास्को एक्ट व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)V SC/ST ACT थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास— मु0अ0सं0 69/2021 धारा 174 ए भा0द0वि0 थाना कन्धरापुर आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राकेश कुमार सिंह थाना कन्धरापुर आजमगढ
2. उ0नि0 गिरीश कुमार थाना कन्धरापुर आजमगढ़
3. हे0का0 पंचरतन व का0 महेन्द्र कुमारकन्धरापुर आजमगढ।

थाना जहानागंज

मोबाइल छिनैती करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

वादी सन्तोष कुमार तिवारी पुत्र स्व0 धनेश्वर कुमार तिवारी ग्राम मरूखापुर थाना जहानागंज आजमगढ उपस्थित थाना कार्यालय आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादी की मोबाईल रियलमी नार्जो छिनकर लेकर भाग गया है, इस सूचना पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के आदेश के अनुपालन मे व पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्वेक्षण मे वांछित अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी के चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे दिनांक 28.6.2021 को उ0नि0 तौफिक अहमद मय हमराह द्वारा मु0अ0स0 148/2021 धारा 392 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त आशीष बरनवाल पुत्र अनिल बरनवाल ग्राम बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद को अभियक्त के घर से समय करीब 11.35 बजे गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त आशीष बरनवाल पुत्र अनिल बरनवाल ग्राम बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद के कब्जे से एक अदद मोबाइल बरामद किया गया फर्द बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 411 भादवि की बढोत्तरी की गयी। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ विवरणः- आशीष बरनवाल पुत्र अनिल बरनवाल सा0 बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ उम्र 25 वर्ष बदरियाफ्त मुकदमा उपरोक्त के सम्बन्ध मे पुछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करते हुए बता रहा है कि साहब गलती हो गयी है इस प्रकार की गलती दोबारा नही करुगा। इस बार मुझे माफ कर दिजिए।

पंजीकृत अभियोगः- मु0अ0स0 148/2021 धारा 392 भादवि थाना-जहानागंज, आजमगढ़।

बरामदगीः- अभियुक्त के कब्जे से एक अदद मोबाइल Realme-nargo 10 बरामद किया गया

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1.व0उ0नि0 तौफिक अहमद, थाना-जहानागंज, आजमगढ़।

2.का0 धनन्जय मौर्या थाना-जहानागंज, आजमगढ़।

3. का0 उत्रेष कुमार यादव थाना-जहानागंज, आजमगढ़।

थाना कोतवाली

एक नफर वांछित/वाहन चोर अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 10.2.21 को वादी मुकदमा श्री रामसमुझ चौहान पुत्र पतिराम चौहान निवासी जमकी थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ की लिखित तहरीर के आधार पर मो0 साईकिल चुरा ले जाने पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 43/21 धारा 379 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियो की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री निष्ठा उपाध्याय के कुशल पर्वेक्षण व प्रभारी निरीक्षक के.के. गुप्ता के नेतृत्व में अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतुथाना कोतवाली पर अलग –अलग टीम गठित कर अपराध/अपराधियो की धड़ पकड़ करने हेतु हेतु लगातार भ्रमणशील रहकर संन्दिग्धव्यक्ति / वाहनो की चेकिंग की जा रही थी कि मुखबीर खास की सूचना पर-

दिनांक- 28.06.2021 को उ0नि0 कमलकान्त वर्मा चौकी प्रभारी रोडवेज व हमराह कां0 अंजनी सिंहथाना कोतवाली आजमगढ़ की पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर पूर्व में पंजीकृत मु0अ0सं0 43/21 धारा 379 भादवि (मोटर साइकिल चोरी) से सम्बन्धित अभियुक्त आशीष उर्फ स्वपनिल पुत्र मनोज कुमार निवासी भलूही बोदरवार थाना कप्तानगंज जिला कुशीनगर उम्र 27 वर्ष को बवाली मोड़ चौराहा से समय 09.30 बजे गिरफ्तार कर अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण—

1. मु0अ0सं0 43/21 धारा 379/411भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त–

1- आशीष उर्फ स्वपनिल पुत्र मनोज कुमार निवासी भलूही बोदरवार थाना कप्तानगंज जिला कुशीनगर उम्र 27 वर्ष

बरामदगी माल का विवरण-

1- थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर में एक अदद मो0सा0 नं0 *UP50BH7336* स्पलेन्डर प्लस बरामद

गिरफ्तारी करने वाली टीम के कर्मी

1. उ.0नि0 कमल कान्त वर्मा चौकी प्रभारी रोडवेज , थाना-कोतवाली , आजमगढ़ ।
2. कां0 अंजनी सिंह थाना-कोतवाली , आजमगढ़ ।